संख्याः शिक्षा–एच0ई0(5)सी(15)–1/66–लेखा परीक्षा
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिमला–171001, फरवरी, 2020

सेवा में

1. समस्त उप–निदेशक (उच्चत्तर शिक्षा) (हि0 प्र0)
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यायालय (हि0 प्र0)
3. ग्रुप कमांडर (एन0 सी0 सी0) मुख्यालय, (हि0 प्र0) शिमला
4. समस्त जिला पुस्तकालय (हि0 प्र0)
5. समस्त राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, (हि0 प्र0)

विषयः– **31–12–2019 तक असमायोजित लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणी व पैरे बारे।**

उपरोक्त विषय पर प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–3 के पत्र संख्याः सो0सै0–सी0ए0–1/अ0ले0प0नि0टि0 व पैरे/2019–20/1528–49 दिनांक 15–01–2020 द्वारा इस विभाग को सूचित किया है कि लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 31–12–2019 तक राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से सम्बन्धित 6354 लेखा परीक्षा निरीक्षण टिप्पणी के 30565 पैरे वर्ष 1964–65, से आपत्ति पुस्तकों की मदें जो कि अनियमित अदायगी एंव संभावित गबन से सम्बन्धित है की अनुपालना न होने के कारण असमायोजित पड़े हैं। लेखा परीक्षा अधिकारियों ने विभिन्न मदों में नियमों/आदेशो/प्रावधानो की अनुपालना न करने पर आपत्तियॉ उठाई हैं तथा महालेखाकार के कार्यालय द्वारा सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था परन्तु उनके द्वारा लम्बे समय तक आवश्यक कार्यवाही अमल में न लाने के कारण पैरे/मदों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा यह आपत्ति पुस्तकों में असमायोजित पड़ी हैं इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि पैरो के समायोजन हेतु तदर्थ समिति की बैठको में भी पुराने पैरो की अनुपालना में आवश्यक दस्तावेजों के अभाव के कारण कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है अधिकत्तर पैरे/मदें व्यक्तिगत दावों जैसे कि यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अधिक अदायगी से सम्बन्धित हैं। सम्बन्धित कार्यालय/शिक्षण संस्थानों की असमायोजित मदों का ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है।

आपके कार्यालय तथा सभी शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत होने जा रहे है, उनसे सेवानिवृति से पूर्व सम्बन्धित आपत्ति (यदि कोई हो) पर प्राथमिकता के आधार पर अन्तिम कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का ध्यान सेवानिवृति से पूर्व बेवाकी प्रमाण–पत्र देते हुए भी रखा जाये।

पेज जारी है..../-

अतः इस सन्दर्भ में इस विषय में व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि पिछले **<u>पांच वर्षो से पूर्व</u>** के सभी असमायोजित मद्दों के समायोजन हेतू उचित दिशा निर्देश जारी करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवायें। यह भी सुनिश्चित करें कि लेखा परीक्षा आपतियों का समायोजन शीघ्र अति शीघ्र हो।

सम्बन्धित संस्था के मुखिया/कार्यालय अधिकारियों द्वारा संस्था में कार्यकाल के दौरान आडिट पैरों के समायोजन हेतू क्या– क्या पग उठाए गए हैं तथा कितने आडिट पैरे समायोजित कराए गए हैं , इसका रिकार्ड सबन्धित संस्था द्वारा मुखिया के कार्यकाल –बार रखा जाना अपेक्षित है ताकि समयबद्व कार्यवाही न करने पर तदानुसार जिम्मेदारी तय की जा सके ।

हस्ता/-
(डा0 अमरजीत कुमार शर्मा)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठाकंन संख्याः सम दिनॉक शिमला– फरवरी, 2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त बारे सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) हि0 प्र0 शिमला –3 ,पत्र संख्या–सो0सै0सी0 ए0–1/अ0 ले0 प0 नि0 टि0 व पैरे /2019–20/1528–49 दिनांक 15–01–2020 के संदर्भ में ।
3. शाखा अधिकारी सूचना प्रोद्योगिकी, शिक्षा विभाग (उच्चतर) को इस पत्र को विभागिय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतू।
4. रक्षित नस्ति।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
18 FEB 2020

संयुक्त नियन्त्रक(वि0एवंले0),
शिक्षा निदेशक(उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश